संख्या- 148/2015/3328/41-15-172 यो0/2015

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 28 अक्टूबर 2015

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर की 03 योजनाओं के पर्यटन विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-1261/राज्य योजना/2015, दिनांक 23-09-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर की 03 योजनाओं के पर्यटन विकास हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन के क्रम में कालम-2 में अंकित योजनाओं के लिये कालम-3 में अंकित कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कालम'-4 तथा 5 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0 70.25 लाख (रूपये सत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**कार्य का नाम/जनपद गाजीपुर**	**कार्यदायी संस्था**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**वित्तीय स्वीकृति**
-1-	**-2-**	**-3-**	**-4-**	**-5-**
1	जनपद गाजीपुर की तहसील जमानिया के ग्राम बरूईन में स्थित शिव मन्दिर स्थल का पर्यटन विकास।	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 वाराणसी इकाई-2 वाराणसी।	29.38	29.38
2	जनपद गाजीपुर की तहसील जमानिया के ग्राम कुसीमीरचा में स्थित शिव मन्दिर स्थल का पर्यटन विकास।	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 वाराणसी इकाई-2 वाराणसी।	21.26	21.26
3	जनपद गाजीपुर की तहसील जमानिया के ग्राम दरौली में स्थित हनुमान स्थल का पर्यटन विकास।	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 वाराणसी इकाई-2 वाराणसी।	19.61	19.61
कुल योग			**70.25**	**70.25**

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. कार्यों की मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
7. योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

3. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों के पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दि0-30-03-2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

<u>संख्या-148/2015/3328 (1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, वाराणसी।
4- जिलाधिकारी, गाजीपुर।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, वाराणसी ।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(विनय कुमार सिहं)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in